

सख्यां : शिक्षा-एच(4)प्रा०-4-46 / 2019-मान्यता -10824.
कार्यालय उपशिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक)
कांगड़ा स्थित धर्मशाला
दिनांक :- 06 / 03 / 2020

सेवा में

समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
जिला कांगड़ा

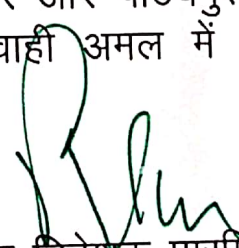
समस्त निजी वरिष्ठ / उच्च / माध्यमिक / प्राइमरी स्कूल,
जिला कांगड़ा

विषय :- पहली से आठवीं कक्षा तक चल रहे निजी शिक्षण संस्थानों में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाने के सन्दर्भ में।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हि०प्र० शिमला कार्यालय के पत्र स० शिक्षा-एक (4) प्रा०-4-46 / 2019- मान्यता दिनांक 27-02-2020 के सन्दर्भ में पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप अपनी-2 निजी पाठशालाओं में **NCERT** पाठ्यक्रम के आधार पर हि०प्र० शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाया जाना अति आवश्यक है लेकिन निजी पाठशालाओं द्वारा अपनी पुस्तकें बोर्ड से प्राप्त नहीं की जा रही है। उसी के आधार पर बोर्ड के पुस्तक विक्रय केन्द्रों / पुस्तक विक्रेताओं के पास पड़ी रह जाती हैं और छात्र उन्हें पढ़ने से वंचित रहते हैं

अतः आपको सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि जिन निजी पाठशालाओं को इस कार्यालय से मान्यता पहली से आठवीं तक दी गई है वह समस्त स्कूल हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला कार्यालय से पहली से आठवीं तक पुस्तकें प्राप्त करें और पाठ्यपुस्तकों को ही अपने-2 स्कूलों में पढ़ाएं, अन्यथा उन पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
कांगड़ा स्थित धर्मशाला